



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 13/2025/D-35

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 259482 दिनांक 06/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Laxmi Narayan Rajoria S/o Moti Lal Rajoriya	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मोतीलाल	75	90.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-E	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	श्री लक्ष्मीनारायण राजौरिया पुत्र श्री मोतीलाल राजौरिया द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत आवंटन पत्र, कब्जा पत्र, वाद-विवाद का शपथ पत्र अपलोड कर जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के भूखण्ड ई-75 क्षेत्रफल 90.00 व.मी. के नियमन हेतु प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन का अवलोकन करें। आवेदित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 20.08.2006 को श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री मोतीलाल के पक्ष में जारी किया जा चुका है। श्रीमती प्रेम देवी की मृत्यु दिनांक



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

							07.01.2020 को एवं श्री मोतीलाल की मृत्यु दिनांक 27.05.1991 को हो चुकी है। अपलोड शपथ पत्र अनुसार श्रीमती प्रेमदेवी के वारिसानो में श्रीमती मीना, हेमलता-पुत्रिया, लक्ष्मी नारायण, अशोक कुमार-पुत्र अंकित है।ससाचाचाचाचा रजि.हकत्याग पत्र दिनांक 27.01.2020 को श्री अशोक कुमार पुत्र मोतीलाल, मीना खीची, हेमलता पुत्रिया श्री मोतीलाल द्वारा उक्त भूखण्ड में से अपना अपना हिस्सा श्री लक्ष्मीनारायण राजौरिया पुत्र श्री मोतीलाल राजौरिया के पक्ष में हकत्याग कर दिया, जिनके द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया है।
--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Laxmi Narayan Rajoria S/o Moti Lal Rajoriya को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।